संख्या-7/2017/101/74-2-2017-15(अधि0)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-727/सेरी0/नियो0/बजट आवंटन/2016-17 दिनांक 20 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना 43-सामग्री और सम्पूर्ति मद में रू0 1000 हजार (रूपया दस लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त रोग रहित शहतूती कीटाण्ड/बीजू कोया हेतु लम्बित बकाया धनराशि के भुगतान हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जाएगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3- उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योनान्तर्गत संगत मदों में अपेक्षित बचत उपलब्ध है।

4- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना में 29-अनुरक्षण मद में सम्भावित बचतों से किया जाएगा तथा उसी अनुदान संख्या-10 के लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

43-सामग्री और सम्पूर्ति मद के नामे डाला जाएगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

5- यह आदेश वित्त विभाग की संख्या-आरई-770, दिनांक 30-03-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2017/101(1)/74-2-2017-22(ब)/2015-तददिनांकि:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बी0एम0-09 की प्रतिसहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की तीन प्रतियों सहित)
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी0एम0-9 की तीन प्रतियों सहित)
6- गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।